

प्रेषण

दमकल केन्द्र अधिकारी,
रोहतक।

सेना में

उपायुक्त महोदय,
रोहतक।
क्रमांक

दिनांक

विषय :

का मौके पर जाकर निरीक्षण किया गया। इस स्थल के आसपास अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से कोई खतरा नहीं है। स्थल पर जाने के लिये फायर गाड़ी का पर्याप्त रास्ता है। अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से साईट प्लान अनुसार पेट्रोल पम्प पर निम्नलिखित प्रबन्ध कार्य शुरू करने से पहले किये जाने अति आवश्यक हैं।

1. AFFF फोम ट्राली क्षमता 45 लीटर आई.एस. मार्क 3 नग।
2. ABC फायर एक्सटींक्शंसर 5 किलोग्राम..... 10 नं०
3. जनरेटर के पास AFFF अग्नि शमन यंत्र 9 लि० क्षमता के 2 नग।
4. रेत व पानी की बाल्टियां 10 नग।
5. दमकल केन्द्र पुलिस आपातकालीन एम्बुलैन्स के दूरभाष नम्बर ऐसी जगह पर लिखे जाये ताकि प्रत्येक आदमी को सामने से नजर आये।
6. पेट्रोल पम्प पर धूम्रपान वर्जित होना चाहिये।
7. अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से मालिक द्वारा अपने स्टोर में 200 लीटर फोम कम्पाउण्ड रखना होगा।
8. जनरेटर सैट तथा कन्ट्रोल पैनल स्टोरेज टैंक से कम से कम 50 फीट की दूरी पर होना चाहियें।

उपरोक्त पेट्रोल पम्प के मालिक द्वारा कार्य चालू करने से पहले दमकल विभाग द्वारा अग्नि सुरक्षा उपकरणों का निरीक्षण करवाना अनिवार्य होगा। यदि कार्य शुरू करने से पहले निरीक्षण नहीं करवाया गया तो होने वाले नुकसान का स्वयं जिम्मेवार होगा।

दमकल केन्द्र अधिकारी
रोहतक।